


कार्यालय अधिष्ठाता
शासकीय स्वशासी ने.सु.च.बोस चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर
क्रमांक /स्था. /राज/18/9049 जबलपुर, दिनांक 27/11/2018

सुपर स्पेशलिटी अस्पताल अधीक्षक, प्राध्यापक, सह-प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक
के पदों की पूर्ति हेतु संशोधित विज्ञप्ति

स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर (सुपर स्पेशलिटी) के अधीन रिक्त पदों की पूर्ति हेतु कार्यालयीन विज्ञप्ति क्रमांक/स्था/राज/18/8853 जबलपुर दिनांक 15/11/2018 में आंशिक संशोधित करते हुए सेवाशर्त क्रमांक 8 के (8.7) में उल्लेखित "चिकित्सा शिक्षक को 5 वर्ष की सेवा देने के लिए बंधपत्र प्रस्तुत करना होगा 5 वर्ष के पूर्व सेवा छोड़ने की दशा में एक वर्ष का वेतन सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में जमा करना होगा।" के स्थान पर "चिकित्सा शिक्षक को 3 वर्ष की सेवा देने के लिए बंधपत्र प्रस्तुत करना होगा 3 वर्ष के पूर्व सेवा छोड़ने की दशा में छः माह का वेतन सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में जमा करना होगा" पढ़ा जावे, एवं क्रमांक 10 में उल्लेखित आवेदन शुल्क के बैंक ड्राफ्ट में आवेदक साथ संलग्न करने के पूर्व बैंक ड्राफ्ट के पीछे अपना नाम, विषय एवं मो.नं अंकित करें ।


मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
स्वशासी ने.सु.च.बोस चिकित्सा महाविद्यालय
जबलपुर

पृ. क्रमांक /स्था. /राज/18/ जबलपुर, दिनांक /11/2018
1. चिकित्सा महाविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु

॥
मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
स्वशासी ने.सु.च.बोस चिकित्सा महाविद्यालय
जबलपुर